पटना नगर निगम

मौर्यलोक कम्पलेक्स, पटना-800001

निगम पर्षद की 10वीं साधारण बैठक की कार्यवाही :-

दिनांक :- **07-02-2026**

समय :- **12:30** बजे अपराह्न

स्थान :- होटल लेमन ट्री प्रीमियर, एक्जीबिशन रोड, पटना

यशपाल मीणा, भा.प्र.से.
नगर आयुक्त
पटना नगर निगम

रेशमी कुमारी
उप-महापौर
पटना नगर निगम

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

दिनांक-07.02.2026 को आहूत निगम पर्षद की 10वीं (दसवीं) साधारण बैठक माननीया महापौर, श्रीमती सीता साहू की अध्यक्षता में हुई। जिसमें निम्नांकित माननीया/माननीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया, जिनकी उपस्थिति निम्न प्रकार है :-

1. **श्रीमती सीता साहू**	–	**महापौर, पटना नगर निगम।**
2. श्रीमती रेशमी कुमारी	–	उप महापौर, पटना नगर निगम।
3. श्रीमती श्वेता राय	–	सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
4. श्रीमती अनीता देवी(वार्ड-22)	–	सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
5. श्रीमती कांति देवी	–	सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
6. श्रीमती कावेरी सिंह	–	सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
7. श्री कुमार संजीत	–	सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
8. श्री मनोज कुमार	–	सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
9. श्री बिनोद कुमार	–	सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
10. श्रीमती बबीता देवी	–	पार्षद, वार्ड संख्या-02
11. श्रीमती प्रभा देवी	–	पार्षद, वार्ड संख्या-03
12. श्रीमती उषा देवी	–	पार्षद, वार्ड संख्या-04
13. श्रीमती दीपारानी खान	–	पार्षद, वार्ड संख्या-05
14. श्रीमती धनराज देवी	–	पार्षद, वार्ड संख्या-06
15. श्री अमर कुमार	–	पार्षद, वार्ड संख्या-07
16. श्रीमती रीता रानी	–	पार्षद, वार्ड संख्या-08
17. श्री आशीष कु0 शंकर	–	पार्षद, वार्ड संख्या-09
18. श्री रवि प्रकाश	–	पार्षद, वार्ड संख्या-11
19. श्रीमती सविता सिन्हा	–	पार्षद, वार्ड संख्या-12
20. श्री जीत कुमार	–	पार्षद, वार्ड संख्या-13
21. श्री शशि भूषण	–	पार्षद, वार्ड संख्या-15
22. श्री जय प्रकाश सिंह	–	पार्षद, वार्ड संख्या-16
23. श्रीमती सोनी देवी	–	पार्षद, वार्ड संख्या-17
24. श्री रंजन कुमार	–	पार्षद, वार्ड संख्या-18
25. श्रीमती शारदा देवी	–	पार्षद, वार्ड संख्या-19
26. श्रीमती भारती कुमारी	–	पार्षद, वार्ड संख्या-20
27. श्रीमती श्वेता रंजन	–	पार्षद, वार्ड संख्या-21
28. श्रीमती सुशीला कुमारी	–	पार्षद, वार्ड संख्या-22(ए)
29. श्रीमती सुचित्रा सिंह	–	पार्षद, वार्ड संख्या-22(बी)

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

सीता साहू
महापौर

30. श्रीमती अनिता देवी – पार्षद, वार्ड संख्या–22(सी)
31. श्री रजनीकान्त – पार्षद, वार्ड संख्या–25
32. श्रीमती रानी कुमारी – पार्षद, वार्ड संख्या–27
33. श्री विनय कुमार – पार्षद, वार्ड संख्या–28
34. श्री विकास कुमार – पार्षद, वार्ड संख्या–29
35. श्रीमती राधा शर्मा – पार्षद, वार्ड संख्या–31
36. श्रीमती पिंकी यादव – पार्षद, वार्ड संख्या–32
37. श्रीमती शीला देवी – पार्षद, वार्ड संख्या–33
38. श्री राजकुमार गुप्ता – पार्षद, वार्ड संख्या–35
39. श्री राजकुमार शर्मा – पार्षद, वार्ड संख्या–36
40. श्री संजीव आनन्द – पार्षद, वार्ड संख्या–37
41. डा0 आशीष कु0 सिन्हा – पार्षद, वार्ड संख्या–38
42. श्री राहुल यादव – पार्षद, वार्ड संख्या–39
43. श्री असफर अहमद – पार्षद, वार्ड संख्या–40
44. श्रीमती किरण देवी – पार्षद, वार्ड संख्या–41
45. श्री कैलाश प्र0 यादव – पार्षद, वार्ड संख्या–42
46. श्रीमती रजनी सिन्हा – पार्षद, वार्ड संख्या–43
47. श्री आशीष चन्द्र यादव – पार्षद, वार्ड संख्या–44
48. श्री सतीश कुमार – पार्षद, वार्ड संख्या–47
49. श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी – पार्षद, वार्ड संख्या–48
50. श्रीमती आरजू – पार्षद, वार्ड संख्या–50
51. श्री ज्योति रंजन दास – पार्षद, वार्ड संख्या–51
52. श्रीमती किरण मेहता – पार्षद, वार्ड संख्या–53
53. श्री बिनय कुमार – पार्षद, वार्ड संख्या–54
54. श्री कंचन कुमार – पार्षद, वार्ड संख्या–55
55. श्रीमती किस्मती देवी – पार्षद, वार्ड संख्या–56
56. श्रीमती गायत्री गुप्ता – पार्षद, वार्ड संख्या–57
57. श्रीमती श्वेता कुमारी – पार्षद, वार्ड संख्या–58
58. श्रीमती नीलम कुमारी – पार्षद, वार्ड संख्या–59
59. श्रीमती शोभा देवी – पार्षद, वार्ड संख्या–60
60. श्रीमती उषा देवी – पार्षद, वार्ड संख्या–61
61. श्रीमती तारा देवी – पार्षद, वार्ड संख्या–62
62. श्री फैजुर रहमान खान – पार्षद, वार्ड संख्या–63

पटना नगर निगम ★ PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

63. श्रीमती आविदा कुरैशी	–	पार्षद, वार्ड संख्या–64
64. श्रीमती तरूणा राय	–	पार्षद, वार्ड संख्या–65
65. श्रीमती कान्ति देवी	–	पार्षद, वार्ड संख्या–66
66. श्रीमती सुनीता देवी	–	पार्षद, वार्ड संख्या–68
67. श्री मनोज मेहता	–	पार्षद, वार्ड संख्या–69
68. श्रीमती अंजली राय	–	पार्षद, वार्ड संख्या–71
69. श्रीमती संध्या यादव	–	पार्षद, वार्ड संख्या–72

निगम प्रशासन

01. श्री यशपाल मीणा (भा.प्र.से.)	–	नगर आयुक्त, पटना नगर निगम
02. श्री राजन सिन्हा (बि.पु.से)	–	अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम
03. श्री कृष्ण स्वरूप	–	अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम
04. श्री विनय कुमार	–	अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम
05. श्री ज्योत प्रकाश	–	उप–नगर आयुक्त, सह– नगर सचिव
06. श्री रामाशीष शरण तिवारी	–	उप–नगर आयाुक्त, स्थापना
07. श्रीमती जया	–	उप–नगर आयुक्त, पटना नगर निगम
08. श्री बिन्दु रजक	–	मुख्य नगर अभियंता, पटना नगर निगम
09. श्री विकास कुमार	–	निदेशक, शहरी योजना
10. श्री बब्लू कु0 गुप्ता	–	कार्यपालक अभियंता, विद्युत
11. श्री अजित कुमार शर्मा	–	कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल
12. श्रीमती पुण्य तरू	–	कार्यपालक पदाधिकारी, पाटलिपुत्र अंचल
13. श्री गंगाकान्त ठाकुर	–	कार्यपालक पदाधिकारी, बाँकीपुर अंचल
14. श्री निखिल कुमार	–	कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल
15. श्री आशुतोष कुमार	–	कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल
16. सुश्री श्रेया कश्यप	–	कार्यपालक पदाधिकारी, अजीमाबाद अंचल
17. श्री राम स्वरूप प्रसाद	–	कार्यपालक अभियंता, जलापूर्ति प्रमंडल
18. श्री सुशील कुमार झा	–	कार्यपालक अभियंता, नूतन राजधानी प्रमंडल
19. श्री आशीष प्रसाद	–	कार्यपालक अभियंता, कंकड़बाग प्रमंडल
20. श्री अवधेश कु0 सिंह	–	निजी सहायक

अध्यक्ष :– सदन में उपस्थित माननीया उप–महापौर/सशक्त स्थायी समिति के सदस्यगण, सभी माननीय पार्षदगण, एवं श्री यशपाल मीणा, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम का निगम पर्षद के सदन में पहली बैठक है, विशेष रूप से उनका मैं हार्दिक अभिनन्दन करती हूँ साथ ही

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

सभी पदाधिकारीगण एवं मीडिया कर्मियों का हार्दिक अभिनंदन है। नगर आयुक्त बैठक की कार्यवाही शुरू करें।

नगर आयुक्त :- माननीया महापौर महोदया/उप-महापौर महोदया, सभी पार्षदगण, उपस्थित पदाधिकारी, कर्मचारी, मीडियाकर्मी का स्वागत करते हुए माननीया अध्यक्ष के आदेशानुसार नगर सचिव, कार्यवाही का एजेंडा पढ़ें।

मद संख्या-01 :- **दिनांक-29-03-2025 को आहूत निगम पर्षद की तृतीय विशेष बैठक (बजट2025-26) की कार्यवाही की सम्पुष्टि।**

अध्यक्ष :- तृतीय विशेष बैठक (बजट 2025-26) की कार्यवाही की सम्पुष्टि का प्रस्ताव है, माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपना-अपना सुझाव दें।

श्री सतीश कुमार:- माननीया अध्यक्ष महोदया, बजट 2025-26 की कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।

श्री अमर कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।

श्री आशीष कु० सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, आज 10 माह गुजर गये, बजट की सम्पुष्टि नहीं हुई है। सम्पुष्टि के बाद बजट 31 मार्च तक सरकार में भेजना होता है। पता नहीं बजट गया या नहीं। बिना बजट पास किये हुए हम कैसे खर्च कर रहें है। उक्त बजट में प्रत्येक वार्ड के लिए एक-एक करोड़ की योजना से जन कार्य कराने की स्वीकृति दी गयी थी। मेरा वक्तव्य भी कार्यवाही से गायब है और मैने यह भी कहा था कि जो एक करोड़ की राशि होगी, वह निगम मद से दिया जाएगा। वह भी गायब है। उसी तरह से मानननीय सदस्य श्री विनय कुमार 'पप्पु जी' ने एक आय के श्रोत के मामलें में विज्ञापन की चर्चा की थी। मैंने उनके साथ सहमति जताया था। मैंने कहा था विज्ञापन हमारे आय का प्रमुख श्रोत है। और इस शहर में बिना नगर निगम/ नगर आयुक्त के अनुमति विज्ञापन नहीं लग सकता है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

यह सब बातें गायब है। मैं बजट की सम्पुष्टि जरूर करना चाहूँगा। लेकिन जो मेरी आपत्ति है उसे दर्ज किया जाय।

श्री विनय कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, बजट 2025-26 कार्यवाही की सम्पुष्टि लगभग एक साल के बाद आया है। मेरी स्मरण शक्ति इतनी नहीं है कि उस बैठक में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। उसका याद कर उस पर मुहर लगा दूँ। यह बिलकुल गलत है। तो अध्यक्ष महोदया मैं इस सम्पुष्टि का विरोध करता हूँ।

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी:- माननीया अध्यक्ष महोदया, अब हम नये बजट की तैयारी में लगे है। बजट जो होता है। निगम का आधार होता है। इसमें आय और व्यय का खर्च समाहित होता है। जो बातें आशीष जी ने कहीं है, सम्पुष्टि में उसे सम्मलित किया जाय। और मेरा विरोध दर्ज किया जाय।

श्री सतीश कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं नगर आयुक्त साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफी अवधि बाद बैठक सुचारू रूप से चल रही है। मेरा अनुरोध है पुरानी बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़े। मैं कार्यवाही को सम्पुष्ट करता हूँ।

श्रीमती रानी कुमारी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मेरा सुझाव है जिस तरह पूर्व में बैठक चल रही थी। उसी तरह आगे चले। हंगाम करने कोई बात नहीं बनती है। किसी बात आपत्ति है तो उसे दर्ज किया जाय। हमलोग का चुनाव अगले साल होने वाला है। हम सभी पार्षदों के हित में जो कार्य बचा हुआ है। उसे सुचारू रूप से किया जाय। और निगम के कार्य अच्छे से चलायें। मैं कार्यवाही को सम्पुष्ट करती हूँ।

पटना नगर निगम ★ PATNA MUNICIPAL CORPORATION ★

श्री कैलाश प्र० यादव:- माननीया अध्यक्ष महोदया, बजट 2025-26 की कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव संख्या-136 :- **बहुमत से दिनांक-29-03-2025 को आहूत निगम पर्षद की तृतीय विशेष बैठक (बजट2025-26) की कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाता है।**

मद संख्या-02 :- **दिनांक-11-07-2025 को आहूत निगम पर्षद की 9वीं साधारण बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।**

अध्यक्ष :- दिनांक-11-07-2025 को आहूत निगम पर्षद की 9वीं साधारण बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि का प्रस्ताव है, माननीय सदस्यों से अनुरोध है, इस पर अपना-अपना विचार रखें। साथ ही सदन की कार्यवाही को शांतिपूर्ण ढ़ंग से चलाने में सहयोग प्रदान करें।

श्री आशीष कु० सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, दिनांक-11.07.2025 को हुई निगम पर्षद की 9वीं साधारण बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि का प्रस्ताव है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण विषय था। उन विषयों के जाँच के लिए सरकार द्वारा कमिटी का गठन किया गया था। और उस पर कार्रवाई के लिए रोक लगाने की बात की गयी थी। उक्त बैठक में पदाधिकारियों के साथ-साथ हमलोग भी सदन का बहिष्कार कर चले गये थे और सदन में उपस्थित पार्षदों द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित किया गया और जो वर्त्तमान कार्यवाही हमलोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। हमने देखा है कि कुछ संशोधन के साथ कार्यवाही को सम्पुष्ट किया गया है। इसलिए मैं सम्पुष्टि पर अपना विरोध प्रकट करता हूँ।

श्री विनय कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, दिनांक-11.07.2025 के कार्यवाही आया है। उस समय तत्कालिन नगर आयुक्त श्री परासर साहब थे। उन्होंने 03 बिन्दु पर (प्रस्ताव संख्या-123, 124 एवं 125) पर विभाग द्वारा रोक लगाने की बात कहा था। सरकार ने इन तीन बिन्दुओं पर कार्यवाही करने से निगम को रोका है और हम लोग बैठक का बहिष्कार कर चले गये थे। आज पुन: दिनांक-11.07.2025 को आहूत निगम पर्षद की 9वीं साधारण बैठक की कार्यवाही को सम्पुष्टि के लिए आया है। मैं इसका विरोध करता हूँ।

महापौर
पटना नगर निगम

श्रीमती पिंकी यादव :- माननीया अध्यक्ष महोदया, दिनांक-11.07.2025 के कार्यवाही की सम्पुष्टि के लिए आया है जिसका हमने बहिष्कार किया था। उस बैठक में क्या हुआ, मुझे मालूम नहीं है। मैं इसका विरोध करती हूँ।

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पिछले बैठक की कार्यवाही में मेरा वक्तव्य के साथ छेड़-छाड़ किया गया है। जो खेदजनक है। बिना किसी चर्चा के 8वीं साधारण बैठक में प्रस्ताव संख्या-123, 124 एवं 125 को पार्ट बनाकर दिनांक-11.07. 2025 को आहूत निगम पर्षद की 9वीं साधारण बैठक में विवादित प्रस्ताव को पास कराने हेतु रखा गया। उसे पास कराने की क्या मजबूरी है। मैं उस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। उस प्रस्ताव में अमेजिन इंडिया के बारे में था। वह कितना बड़ा कम्पनी है। यह जाँच का विषय है। सम्पुष्टि का विरोध करता हूँ।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, सदन में लगातार तीन विषयों को लेकर विवाद चल रहा है। अब हमलोग दो साल बाद चुनाव में जाने वाले है। हमलोग भी चिंतित है की आज एक साल के बाद बैठक हो रहा है। और कुछ विषय 123, 124, 125 जिस पर कई बार सदन में हंगामा हुआ यह मुद्दा अब समाप्त होना चाहिए। सब लोग अपने-अपने क्षेत्र में विकास चाहते है। अभी माननीय सदस्य ने अमेंजिंग इंडिया के बारे में चर्चा किया। यह सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहें है। इस प्रस्ताव को में अमेंजिंग इंडिया को बचाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रस्ताव यह है कि कोई भी प्रस्ताव जो सशक्त स्थायी समिति /निगम पर्षद से पारित हो उसे रद्द करने का अधिकार सशक्त स्थायी समिति/निगम पर्षद को ही है। चूंकि अमेजिंग इंडिया के साथ ऐसा घटना हुआ जिसकी स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति/ निगम पर्षद में प्रस्ताव लाये बिना उसे हटा दिया गया। जिसके विरूद्ध एजेंसी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपना वाद दायर किया और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नगर

महापौर
पटना नगर निगम

आयुक्त के आदेश पर स्टे लगा दिया। मेरा आग्रह है कि निगम पर्षद की 8वीं एवं 9वीं बैठक में पटना शहर के विभिन्न वार्डों में जनहित के कई प्रस्ताव पारित है। जो रूका हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदया से आग्रह करता हूँ कि उक्त तीनों प्रस्ताव क्रमशः 123, 124 एवं 125 को विलोप्ति करते हुए, बाकी जो भी जनहित में प्रस्ताव है। उस पर कार्रवाई किया जाय। मैं सभी सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों एवं माननीय पार्षदों से भी आग्रह करता हूँ कि विलोप्ति करने के प्रस्ताव को समर्थन करें। अध्यक्ष महोदया, 08वीं एवं 9वीं निगम पर्षद की कार्यवाही में अंकित प्रस्ताव 123, 124 एवं 125 को विलोपित कर कार्यवाही को समुष्ट करने की कृपा की जाय।

श्री कुमार संजीत :- माननीया अध्यक्ष महोदया, जो सदस्य आरोप लगा रहें है। अध्यक्ष महोदया मेरा सुझाव है कि अमेंजिंग इंडिया के संबंध में जाँच करायी जाय ताकि दूध-दूध का पानी-पानी हो जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, जिस समय अमेंजिंग इंडिया का प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष आया था। उस समय माननीय सदस्य, सशक्त स्थायी समिति के सदस्य थे। और उन्होंने भी इस प्रस्ताव पर अपना सहमति जताया था।

अध्यक्ष :- माननीय कुछ सदस्यों द्वारा पिछले बैठक में तीन प्रस्तावों पर हंगामा किया गया और वे बैठक का बहिष्कार कर चले गये। जिसके कारण कई योजना विकास के कार्य बाधित हुआ। कुछ नये माननीय पार्षद है, जिनमें जिज्ञास है कि कार्य हो उनके जिज्ञासा को देखते हुए तीनों प्रस्ताव 123, 124 एवं 125 को विलोप्ति किया जाय। जिससे विवाद खत्म हो और आगे बैठक की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढ़ंग से हो। और विकास का कार्य अवरूद्ध न हो।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

श्रीमती दीपा रानी खान:- माननीया अध्यक्ष महोदया, कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।

सीता साहु

महापौर

पटना नगर निगम

श्री अमर कुमार :- अमेजिन इंडिया के कारण सदन का काफी समय बर्बाद हो रहा है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि हम नये पार्षद है, हमारे तरह कुछ और भी पार्षद नये है, विकास का कार्य होना चाहिए। इस बात पर चर्चा हो। सम्पुष्टि का प्रस्ताव है, इसे सम्पुष्ट किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आज जनहित की योजना पर चर्चा करें।

श्री विनय कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इतना ही स्थिति स्पष्ट था तो आज जो कार्यवाही हम लोगों के पास आया है, उसमें इन तीनों प्रस्तावों को विलोप्ति करते हुए सम्पुष्टि का प्रस्ताव आता तो अच्छा होता।

श्री सतीश कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, प्रस्ताव संख्या-123, 124 एवं 125 को विलोप्ति करने की घोषणा की गयी है। अब आगे बैठक की कार्यसूची पर चर्चा किया जाय।

श्री विनय कुमार(वार्ड-54) :- माननीया अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में उपस्थित पार्षदों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सदन को जनहित एवं विकास हित में चलाने का कार्य करें।

श्री कैलाश प्र० यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदया, कार्यवाही को संशोधन के साथ समुष्ट किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-137 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक**-11.07.2025 **को हुई निगम पर्षद की** 9**वीं साधारण बैठक की कार्यवाही को संशोधन के साथ निगम पर्षद की** 8**वीं साधारण बैठक में निहित प्रस्ताव संख्या**-123,124 **एवं** 125 **को विलोप्ति करते हुए ,शेष मदों के प्रस्तावों पर कार्रवाई करने स्वीकृति निगम पर्षद द्वारा प्रदान की जाती है।**

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

मद संख्या-03 :- **पटना नगर निगम में डोर टू डोर कचरा संग्रहण कार्य हेतु नये वाहन/उपकरण क्रय करने के संबंध में।**

महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष :- डोर टू डोर कचरा संग्रहण कार्य हेतु नये वाहन/उपकरण क्रय करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- माननीया अध्यक्ष महोदया, कचरा संग्रहण कार्य में कार्यरत वाहन/उपकरण, पुराना एवं जर्जर हो गया है। जिसके कारण कचरा संग्रहण कार्य में परेशानी हो रही है।

विदित हो कि जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–10528, दिनांक–19.11.2024 के आलोक में मोटरयान निरीक्षक के द्वारा निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये 158 जर्जर वाहनों की सूची के क्रम में वाहनों की जांच की गई, जिसमें 152 वाहनों को Condem घोषित किया गया एवं नीलामी हेतु न्यूनतम मूल्य 82.56 लाख रूपया निर्धारित की गई। निलामी की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इससे संबंधित संलेख कार्यालय पत्रांक–5183, दिनांक–25.03.2025 के द्वारा भेजी गयी है।

उक्त के आलोक में डोर –टू–डोर कचरा संग्रहण हेतु वाहन/उपकरण क्रय के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति से पारित करते हुए निगम पर्षद को निर्णय/स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया है।

श्री सतीश कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए जल्द से जल्द वाहन का क्रय किया जाय। स्वच्छता सर्वेक्षण में हम प्रथम स्थान पा सकें।

श्रीमती पिंकी यादव :- माननीया अध्यक्ष महोदया, डोर टू डोर कचरा संग्रहण एवं कचरे को रामाचक बैरिया तक ले जाने के लिए वाहन का क्रय बहुत ही जरूरी है। यह अच्छा प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदया, आज कचरा संग्रहण में संलग्न वाहनों की स्थिति काफी बदत्तर है। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक वार्ड के लिए एक ओपन टीपर एवं 05–05 हाथ गाड़ी दिया जाय। क्योंकि गलियों से कूड़ा उठाने के लिए सबसे बेहत्तर साधन है। मेरा सुझाव है कि जो 45 ओपन टीपर क्रय का प्रस्ताव है, उसे हर वार्ड के लिए एक–एक ओपन टीपर यानी 75 ओपन टीपर का क्रय किया जाय। क्योंकि टीपर की कमी रहने के कारण दूसरे वार्ड से टीपर की मांग की जाती है। हर वार्ड में टीपर रहने पर कचरा का उठाव /ढुलाई का कार्य तेजी से होगा।

महापौर
पटना नगर निगम

सुपर सकर मशीन की कमी है। सुपर सकर मशीन हर अंचल में एक-एक होना चाहिए। ताकि एक अंचल को दूसरे अंचल पर निर्भर नहीं रहना पड़े और कचरा के निष्पादन में तेजी आएगी। अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 45 अदद ओपेन टीपर क्रय करने का प्रस्ताव है, 30 ओपेन टीपर क्रय करने का प्रस्ताव पूर्व में ही लिया जा चुका है।

श्री विनय कुमार :- नगर आयुक्त साहब, मेरा सुझाव है। वाहन का क्रय हो लेकिन पुराने वाहनों का मरम्मति भी होना चाहिए। मैनें कई बार वाहनों की मरम्मति के लिए वर्क शॉप बनाने की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। सभी वाहनों का निबंधन होना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाय। कितने नंबर के वाहन किस वार्ड में कार्यरत है। यह भी पाया गया है कि 05 वाहन वार्ड में है लेकिन उस वार्ड में 03 ही वाहन कार्यरत है, शेष वाहन खराब है। इनकी भी मरम्मति के लिए उपाय होनी चाहिए।

निगम का प्रमुख कार्य सफाई कार्य है। इसके लिए कूड़ा उठाने वाले वाहन को दुरूस्त होना चाहिए या ठीक-ठाक होना चाहिए। किस वार्ड में कितनी वाहन उसकी जानकारी सदस्यों को होना चाहिए। कभी-कभी 28 वार्ड का वाहन खराब रहता है तो 27 वार्ड के वाहन को भेज दिया जाता है। जो वाहन Condem है और बनने लायक नहीं है, उसपर पैसा खर्च करना व्यर्थ है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से नगर आयुक्त साहब को बताना चाहता हूँ कि वाहनों के निबंधन नहीं रहने से कई वाहन थाने में पड़ा हुआ है। यह किस वार्ड का गाड़ी है, कार्यपालक पदाधिकारी को पता करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, मेरा यह भी सुक्षाव है कि कौन-कौन नंबर के वाहन किस-किस वार्ड में कार्यरत है। यह भी स्पष्ट होना चाहिए।

पटना नगर निगम ★ PATNA MUNICIPAL CORPORATION ★

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से नगर आयुक्त साहब को बताना चाहता हूँ कि सफाई कार्यो को बेहत्तर ढ़ंग से कराने के लिए वर्ष 2018 में वाहनों का क्रय हुआ था और

महापौर
पटना नगर निगम

प्रत्येक वार्ड में वाहन उपलब्ध कराया गया था। वाहनों के रख-रखाव उचित ढंग से नहीं होने के कारण वाहन एवं उसके चदरे सड़ते गए और वह Condem की स्थिति में आ गया।

श्री कैलाश प्र0 यादव :- माननीया अध्यक्ष महोदया, स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए वाहनों का क्रय होना चाहिए। सशक्त स्थायी समिति द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों के क्रय हेतु अनुशंसा किया है। उसमें कुछ वाहनों में बढ़ोत्तरी किया जाय।

बाँकीपुर अंचल में वाहन मरम्मति के लिए मुख्यालय से जो राशि जाती है। उसका सही ढ़ंग से उपयोग नहीं होता है। नाला उड़ाही का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। वाहनों की स्थिति काफी खराब है। वाहन के संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी से बराबर बात करते है, लेकिन वे अनसुना कर देते है। जे0सी0बी0 की स्थिति ठीक नहीं है। रात्रि में जो स्वीपिंग मशीन का संचालन होता है वह सही नहीं है। बाँकीपुर अंचल में तेल का खेल हो रहा है।

माननीया अध्यक्ष महोदया, आप भी वाकिफ है कि सुबह होते ही जनता अपनी शिकायत लेकर आते है। उनकी शिकायत को सुनना हम सब की जिम्मेवारी है। लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी, बाँकीपुर अंचल हमलोगों की बात को नहीं सुनते है।

अध्यक्ष महोदया, शहर में सभी वार्डो में जलापूर्ति के लिए वर्षो से पाईप लाईन बिछे हुए है, जो काफी पुराने हो गये है। उससे गंदा पानी आता है और आम जनता को गंदे पानी को पीने के लिए विवश होना पड़ रहा है। ऐसा न हो कि जो घटना इन्दौर नगर निगम में हुआ वह पटना नगर निगम में भी हो।

अध्यक्ष महोदया, वाहन क्रय के प्रस्ताव को जनहित में पारित किया जाय।

नगर आयुक्त :- कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता संबंधित वार्ड का समीक्षा कर कार्रवाई करें।

श्रीमती रानी कुमारी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मेरे वार्ड में पतली-पतली गलियाँ है एवं पुरानी बस्ती है। गलियों से कचरा उठाने के लिए ठेला बहुत जरूरी है। कुछ ऐसा ठेला है, जो काफी जर्जर हो चुके है। कर्मचारी द्वारा कचरा उठाकर ले जाते समय ठेला से कचरा

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

गिरता रहता है। इसकी सूचना कार्यपालक पदाधिकारी, पाटलिपुत्र अंचल को देती हूँ लेकिन स्थिति जस की तस है।

अध्यक्ष महोदया, वाहन क्रय का प्रस्ताव निगमहित में इसे पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, 03 माह पहले ठेला मरम्मति के लिए सभी अंचल में राशि भेजी गयी है।

श्री राजकुमार गुप्ता :- माननीया अध्यक्ष महोदया, ठेला मरम्मति के लिए राशि नहीं भेजी गयी है। ठेला मरम्मति के लिए चदरा, वेयरिंग सही लगा दिया जाय तो आराम से ठेला चलता रहेगा। नये ठेला बनाने में लगभग 11-12 हजार रू0 खर्च होंगे।

अध्यक्ष महोदया, स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए वाहन क्रय के प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री जीत कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, ई0रिक्शा की संख्या बढ़ाई जाय। मेरे वार्ड में 05 सेक्टर है। वहाँ 02 सेक्टर और बढ़ाया जाय। क्योंकि वार्ड बहुत बड़ा एवं घनी आबादी वाला है।

श्री रवि प्रकाश :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मेरा वार्ड भी बहुत बड़ा है एवं नया क्षेत्र है। ई0रिक्शा की संख्या बढ़ाई जाय। मेरे वार्ड में 05 सेक्टर है। वहाँ 02 सेक्टर और बढ़ाया जाय। क्योंकि वार्ड बहुत बड़ा एवं घनी आबादी वाला है।

श्री अमर कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, वार्ड संख्या-07 के अन्तर्गत पटेल नगर बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ दो सेक्टर बढ़ाया जाय। साथ ही वाहन क्रय के प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या- 138 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम में डोर टू डोर कचरा संग्रहण कार्य हेतु नये वाहन/उपकरण एवं अन्य सफाई सामग्री के क्रय करने के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है :-**

1. ई0-रिक्सा :- 150 अदद
2. क्लोज टीपर :- 150 अदद
3. ओपन टीपर :- 45 अदद

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

4. हाथ गाड़ी :- 05 (प्रत्येक वार्ड के लिए)
5. मिनी पोकलेन :- 03 अदद
6. सुपर सकर :- 02 अदद

मद संख्या-04 :- **बिहार गजट के असाधारण अंक, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या-1538, दिनांक-18 सितम्बर, 2025 द्वारा बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली)नियमावली, 2013 के नियम 4 के गुणक तालिका में संशोधित अधिसूचना के अनुपालन के संबंध में।**

अध्यक्ष :- बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली)नियमावली, 2013 के नियम 4 के गुणक तालिका में संशोधित अधिसूचना के अनुपालन का प्रस्ताव है, माननीय सदस्यों से अनुरोध है, अपना-अपना सुझाव दें।

नगर आयुक्त :- माननीया अध्यक्ष महोदया, बिहार गजट के असाधारण अंक, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या-813, दिनांक-06 अक्टुबर 2023 द्वारा बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली)नियमावली, 2013 के नियम 4 का प्रावधान लागू किये जाने को निदेशित किया गया था। जिसके आलोक में पटना नगर निगम कार्यालय का पत्रांक-2092, दिनांक-27. 01.2024 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के अधिसूचना ज्ञापांक-5509, दिनांक-26.09.2023 द्वारा सशक्त स्थायी समिति /निगम पर्षद में निर्णय हेतु प्रेषित किया गया था। पटना नगर निगम के निगम पर्षद की 08वीं साधारण बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ''गैर आवासीय संपत्ति कर के निर्धारण के लिए वार्षिक किराया मूल्य के निर्धारण के संबंध में सरकार को अनुशंसा भेजा गया है, जो अभी तक अप्राप्त है, सरकार से आदेश प्राप्त होने के बाद इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार द्वारा पुनः बिहार गजट के असाधारण अंक, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या-1538, दिनांक-18 सितम्बर, 2025 द्वारा बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली)नियमावली, 2013 के नियम 4 के गुणक तालिका में संशोधित कर अनुपालन हेतु नगरपालिका को प्रेषित किया गया है। जिसे सशक्त स्थायी समिति द्वारा पारित करते हुए निगम पर्षद को स्वीकृति/निर्णय हेतु भेजा गया है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

श्री सतीश कुमार:- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव से निगम के आय-श्रोत में वृद्धि होगी। सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से निगम में अंगीकार करने के लिए भेजा गया है।

श्री विनय कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, जो अधिसूचना सरकार से प्राप्त हुआ है। उसे पहले भी निगम द्वारा संशोधन के लिए भेजा गया था। हमलोग जनता के प्रतिनिधि है और जनता पर कर का बोझ नहीं डालना चाहते है। सम्पत्ति कर के अलावे हम कचरा शुल्क भी ले रहें है। यह बात सही है कि काफी समय से निगम के कर में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। इसके लिए निगम को छुटे हुए भवनों , नये भवनों और जिन भवनों में अतिरिक्त निर्माण हुआ है उसका कर निर्धारण होना चाहिए। लेकिन गोदाम, दुकान, हेल्थ क्लब, विवाह हॉल, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, नर्सिंग होम, कोचिंग क्लासेज एवं व्यवासयिक से जुड़े संस्थान इस कर से प्रभावित होंगे। पटना शहर में रेंट पर लोग अपना दुकान चलाते है तो सम्पत्ति कर के अलावे उन्हें दुकान का कचरा शुल्क भी भुगतान करना होगा। इससे जनता और निगम के बीच टकराव होगा। इस बार इस कर में संशोधन कर लाया गया है। पिछले बैठक में भी मैंने इसका विरोध किया था। निगम पर्षद की 08वीं साधारण बैठक में यह प्रस्ताव लाया गया था, जिसका मैंने विरोध किया था। आज पुनः इस बैठक में निर्णय हेतु रखा गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसका विरोध करता हूँ।

अध्यक्ष महोदया, मेरा सुझाव है कि संशोधन के प्रस्ताव को पुनः सरकार को विचार के लिए भेजा जाय।

श्री विनय कुमार(वार्ड-54) :- माननीया अध्यक्ष महोदया, सरकार के निर्णय को अंगीकार करना है, जो स्वागतयोग्य है। निगम क्षेत्र के कुछ लोग मकानों से व्यवसाय के माध्यम से लाखों में कमा रहें है तो उन्हें निगम को कुछ कर भुगतान करने में क्या समस्या है। निगम को राजस्व आएगा तभी हम जन कार्य एवं सफाई को चुस्त-दुरूस्त कर सकते है। अध्यक्ष महोदय होटल, मैरेज हॉल से जितना कचरा निकलता है वह 200 घरों के कचरा के बराबर होता है। कचरा का उठाव निगम को करना पड़ता है। उसके लिए वाहन एवं सफाई उपकरणों का क्रय करना पड़ता है। जब कर नहीं आएगा तो यह सुविधा हम जनता को कैसे देंगे।

जलापूर्ति के लिए जल बोर्ड के टीम का गठन करना होगा एवं जर्जर एवं पुराने पाईप को बदलने की कार्रवाई की जाय।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

(signature)
महापौर
पटना नगर निगम

श्री सतीश कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, सुबह होते ही जनता द्वारा नाली जाम चैम्बर जाम कचरा के संबंध में शिकायते लेकर आते है। पैसा नहीं रहेगा तो इन सब पर कार्य कैसे होगा। निगम के आय का मुख्य श्रोत सम्पत्ति कर है। हम जनता से कर लेते और उसके एवज में निगम उन्हें सुविधा देती है।

श्री विनय कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, सम्पत्ति कर ले रहें तो उसके साथ कचरा शुल्क भी वसूल रहें है। इस पर विचार जरूर करें।

श्री अमर कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह जनहित का प्रस्ताव है, इसे अंगीकार किया जाय।

श्री कुमार संजीत :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह जो कर लगाया गया है। वह गैर आवासीय भवन के लिए है। पहले भी निगम पर्षद द्वारा संशोधन के लिए भेजा गया था। और सरकार ने संशोधन कर निगम को अंगीकार करने के लिए भेजा है।

श्री राजकुमार गुप्ता :- माननीय सदस्य श्री विनय कुमार, वार्ड संख्या-28 द्वारा पुनः संशोधन के लिए बोले है, कितना बार संशोधन होगा। पटना में बड़े-बड़े सम्पत्ति धारक है। जो लाखों में किराया वसूलते है। उन्हें कर देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भवन एक तल्ला थे वे 05-06 तल्ले में बदल गये। वे निगम के कर को छिपा रहें है। नगर आयुक्त साहब से अनुरोध होगा कि ऐसे भवनों को जाँच करायें और नियमानुसार कार्रवाई करें। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-139 :- **बहुमत से निर्णय लिया गया कि बिहार गजट के असाधारण अंक, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या-1538, दिनांक-18 सितम्बर, 2025 द्वारा बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 के नियम 4 के गुणक तालिका में संशोधित अधिसूचना के अनुसार कर वसूली के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्ववत् है :-**

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

क्र0	गैर-आवासीय कर के प्रकार	गुणक
i	होटल, हेल्थ क्लब, जिमनाजियम, क्लब, एवं विवाह-हॉल	2
ii	कुटीर उद्योग, दुकान(500 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले) एवं गोदाम (1000 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले)	1
iii	दुकान (**ii** के अतिरिक्त), शो-रूम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां, अतिथिशाला, गोदाम(1000-3000 वर्ग फीट तक क्षेत्रफल वाले)	1.5
iv	नर्सिंग होम, क्लिनिक, औषधालय, प्रयोगशाला(डायग्नोस्टिक सेंटर)	1.5

सीता साहु महापौर
पटना नगर निगम

v	वाणिज्यिक कार्यालय, वित्तीय संस्थान, बीमा कम्पनियों के कार्यालय, बैंक एवं निजी अस्पताल	2
vi	उद्योग(कुटीर उद्योग से भिन्न), कार्याशाला, गोदाम(3000 वर्गफीट से अधिक वाले), वेयर हाउस।	2
vii	राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के वैसे सभी प्रतिष्ठान और उपक्रम जो वाणिज्यक, व्यावसायिक एवं वित्तीय गतिविधियों में संलग्न हैं।	2
viii	सभी प्रकार के कोचिंग क्लासेज, गाईडेंस एवं प्रशिक्षण केन्द्र एवं उनके छात्रावास	1.5
ix	राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के कार्यालय जो वाणिज्यक या व्यावसायिक प्रतिष्ठान या उपक्रम नहीं है।	1
x	निजी विद्यालय, निजी महाविद्यालय, निजी शोध संस्थान, अन्य निजी शैक्षणिक संस्थान एवं उनके छात्रावास।	1.5
xi	सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रकृति के स्थल, केन्द्र एवं संस्थाएँ	0
xii	निर्धन, शारीरिक रूप से अक्षम महिलाओं तथा बच्चों के लाभार्थ पूर्त न्यासों न लाभ-हानि के आधार पर संचालित शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थान।	1
xiii	(i) से (x) तक के अधीन अनाच्छादित कोई अन्य धृति	1.5

यह अधिसूचना राजकीय गजट में प्रकाशन के तिथि से संशोधन दर लागू होगा।

मद संख्या-05 :- **बिहार गजट के असाधारण अंक, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या-1594, दिनांक-6 अक्टूबर 2025 द्वारा अधिसूचित बिहार नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन (ब्याज एवं शास्ति में छूट) योजना 2025 का अनुपालन हेतु विमर्श करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- नागरिकों को सम्पत्ति कर में ब्याज एवं छुट का प्रस्ताव है, माननीय सदस्यों से अनुरोध है, अपना-अपना सुझाव दें।

नगर आयुक्त :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि बिहार गजट के असाधारण अंक, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या-1594, दिनांक-06 अक्टुबर 2025 द्वारा बिहार नगरपालिका सम्मत्ति कर प्रोत्साहन (ब्याज एवं शास्ति छूट) योजना 2025 अधिसूचित की गई है, इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं उसके पूर्व के बकाये सम्पत्ति कर की मूल राशि का भुगतान करने पर पूर्व के सभी लंबित सम्पति कर के ब्याज की राशि एवं शास्ति को माफ किये जाने का प्रावधान है एवं यह योजना से लाभान्वित होने की तिथि

महापौर
पटना नगर निगम

31.03.2026 तक है। जिसकी घटनोत्तर स्वीकृति पूर्व में दी जा चुकी है। जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति से प्रस्ताव पारित कर निगम पर्षद के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा गया है।

श्री कैलाश प्र0 यादव :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पटना नगर निगम के जनता के लिए यह स्वागतयोग्य प्रस्ताव है। जो वर्षो से कर का भुगतान नहीं कर रहें थे। इस प्रस्ताव से उन्हें काफी राहत मिला है और सम्पत्ति कर का भी भुगतान कर रहें है। इसे पारित किया जाय।

श्रीमती रानी कुमारी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री सतीश कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव आम नागरिकों को काफी राहत दे रहा है, इसे पारित किया जाय। मेरा अनुरोध है कि अंचल कार्यालय में नामांतरण का कई मामले पड़े हुए है, उसका भी निदान किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-140 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बिहार गजट के असाधारण अंक, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या-1594, दिनांक-6 अक्टूबर 2025 द्वारा अधिसूचित बिहार नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन (ब्याज एवं शास्ति में छूट) योजना 2025 के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं उसके पूर्व के सम्पत्ति कर के बकाये एक मुश्त(OTS) भुगतान करने पर सम्पत्ति करधारकों को दण्ड एवं ब्याज से छुट देने के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-06:- **बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 एवं बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन(संशोधन) नियमावली 2025 के प्रावधानों के आलोक में पटना नगर निगम विज्ञापन (संशोधन) विनियम 2025 के प्रारूप पर विमर्श करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- पटना नगर निगम विज्ञापन (संशोधन) विनियम 2025 के प्रारूप पर विमर्श करने का प्रस्ताव है, माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपना-अपना विचार रखें।

महापौर
पटना नगर निगम

PATNA MUNICIPAL CORPORATION
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 की धारा 419 के प्रावधानों के आलोक में नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर विज्ञापनों तथा इस तरह की अन्य युक्तियों के प्रदर्शन को विनियमित करने हेतु बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली,2023 एवं बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन (संशोधन) नियमावली 2025 अधिसूचित की गई है। बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2023 एवं बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन (संशोधन) नियमावली 2025 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 की धारा 421 के तहत नगरपालिका के स्तर से विनियमन बनाया जाना है।

नगर विकास एवं आवास विभाग का पत्रांक-1697 दिनांक-10 जून 2025 द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 421 के प्रावधानों के आलोक में नगरपालिका के स्तर से विज्ञापन विनियम बनाकर विभागीय अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाना है।

बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2023 एवं बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन (संशोधन) नियमावली 2025 के आलोक में जोन का वर्गीकरण करते हुए पटना नगर निगम विज्ञापन(संशोधन) विनियमन 2025 का प्रारूप तैयार किया गया है। इस आशय का घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसकी स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति से कुछ बिन्दुओं पर संशोधन के साथ पारित करते हुए स्वीकृति हेतु निगम पर्षद को अनुशंसित किया गया है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, विज्ञापन नियमावली(संशोधन)2025 जो सरकार के द्वारा प्रारूप भेजा गया है। उस पर विचार किया जाना है। विज्ञापन नियमावली पर लम्बे समय से सरकार, निगम एवं विज्ञापनदाताओं के बीच सींचतान चल रहा है। और निगम को राजस्व की हानि हो रही है। माननीया अध्यक्ष महोदया, विज्ञापन के संबंध में पहले भी प्रश्न उठाया है। बस स्टैंड, गोलम्बर, रेलवे स्टेशन के बाहर एवं अन्य प्रमुख स्थानों पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगे हुए है। निगम को इससे कोई वसूली नहीं हो रही है। आखिर वह विज्ञापन कैसे लगा रहा है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

श्री अमर कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, बाबा चौक के पास एक बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है। उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वह कैसे लगा लिया है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, सरकार द्वारा बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन (संशोधन) नियमावली,2025 जो दो वर्ष बाद आया है। पटना नगर निगम को विनियमन बनाने का आदेश है। सशक्त स्थायी समिति द्वारा कुछ

महापौर
पटना नगर निगम

बिन्दुओं पर संशोधन किया गया है। मेरा सुझाव है कि इस पर विशेष बैठक होनी चाहिए। सरकार के द्वारा AX1, AX-A, AX-B तीनों का प्रारूप सभी माननीय पार्षदों को मिलना चाहिए एवं निगम के द्वारा जोन निर्धारित किया गया है। उसकी भी सूची होनी चाहिए। विज्ञापन लेने के लिए क्या विधि होगी–जैसे बोली, निविदा की क्या प्रक्रिया होगी, उसका भी उल्लेख होनी चाहिए।

श्रीमती रानी कुमारी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम क्षेत्र में होर्डिंग भवनों के छत पर लगाये जा रहें है। क्या वे निगम को भुगतान करते है ? क्या मकान मालिक होर्डिंग लगाने के एवज में निगम को पैसा देते है?

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मेरा सुझाव है विज्ञापन विनियमावली निगम को बनाना है और सरकार में भेजा जाना है। इस पर एक विशेष बैठक बुलाई जाय और विज्ञापन से संबंधित प्रत्येक बिन्दु पर विचार–विमर्श किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि विज्ञापन (संशोधन)विनियमावली, 2025 जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है सशक्त स्थायी समिति में चर्चा के बाद 05 बिन्दुओं पर संशोधन किया गया है, जिसकी प्रति माननीया/माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दिया गया है। माननीय सदस्य के मांग पर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

नगर आयुक्त :- विज्ञापन के संबंध में कई प्रमुख बिन्दु है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए। विज्ञापन भी निगम का आय का बड़ा श्रोत है। देश के अन्य निगमों जैसे–जयपुर, भोपाल एवं कई निगमों में विज्ञापन से काफी राशि प्राप्त हो रहा है।

पटना नगर निगम के द्वारा ट्रेड लाईसेंस निर्गत नहीं हो रहा है। इसके लिए सरकार को पत्र द्वारा स्मारित किया गया है। ट्रेड लाईसेंस से भी नगर निगम को काफी राजस्व की प्राप्ति होगी। हम भी चाहते है इस विज्ञापन विनियमावली(संशोधित) 2025 पर एक अलग से विशेष बैठक होनी चाहिए।

महापौर
पटना नगर निगम

मद संख्या-07 :- **पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत प्रत्येक वार्ड में एक-एक करोड़ की योजना के संबंध में।**

अध्यक्ष :- प्रत्येक वार्ड के लिए एक करोड़ योजना का प्रस्ताव है, माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपना-अपना विचार रखें।

नगर आयुक्त :- मैं सदन में बताना चाहता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय बजट में प्रत्येक वार्ड के लिए एक करोड़ योजना(4.0) के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना एवं अन्य योजना का भी कार्य कराया जा रहा है। विदित हो कि 75 वार्डो में जनहित में महत्वपूर्ण मामलों को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं को चयन कर कराये जाने का प्रस्ताव है। जिस पर सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को निर्णय/स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया है।

श्री विनय कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, एक वर्ष बितने जा रहा है, एक करोड़ की योजना कब होगा?

श्री सतीश कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, सदन में सभी उपस्थित माननीया/माननीय सदस्यों के तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके द्वारा प्रत्येक साल एक-एक करोड़ की योजना, प्रत्येक वार्ड को दिया है, जिससे निगम की जनता के लिए रोड, नाला, सामुदायिक भवन एवं कई जनउपयोगी कार्य होगा। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री आशीष कु0 शंकर :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-141:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम के अन्तर्गत माननीया/माननीय पार्षदों के लिए निगम मद से एक करोड़ योजना, वित्तीय वर्ष 2025-26(4.0) के तहत योजनाओं के चयन एवं क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति निगम पर्षद द्वारा प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-08:- **पटना नगर निगम द्वारा बुनियादी ढ़ाँचा के विकास एवं नागरिक सुविधाओं के उन्नयन हेतु म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने के संबंध में।**

महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष :- पटना नगर निगम द्वारा बुनियादी ढ़ाँचा के विकास एवं नागरिक सुविधाओं के विकास हेतु म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव है, माननीय सदस्यों से अनुरोध है, कि इस विषय पर अपना-अपना सुझाव दें।

नगर आयुक्त :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि पटना नगर निगम बिहार की राजधानी का निगम है। जो ऐतिहासिक शहर है। जिसका निरंतर विस्तार हो रहा है और नागरिकों की जनसंख्या भी बढ़ रही है। नागरिकों की बढ़ती जनसंख्या और शहर के विकास को देखते हुए निगम अपने श्रोतों से आवश्यकता हो पूरी नहीं कर पा रहा है। इसलिए 200 करोड़ तक म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम पुँजी जुटाने का प्रस्ताव है। म्युनिसिपल बॉन्ड के प्रक्रिया के लिए बाँन्ड निर्गम समिति (Bond Issue Committee) का गठन किया गया है। जिसके अध्यक्ष नगर आयुक्त होगें एवं सदस्य के रूप में श्री राजन सिन्हा, अपर नगर आयुक्त, श्री बिन्दु रजक, मुख्य नगर अभियंता श्री सुशील झा, निदेशक एवं श्री ज्योत प्रकाश, उप-नगर आयुक्त है। भारत सरकार के कई शहरों के निगमों द्वारा बाण्ड जारी किया गया है। पटना नगर निगम नासिक नगर निगम के पर तौर बाण्ड जारी करेगा। इस प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा गया है।

श्री कुमार संजीत :- माननीया अध्यक्ष महोदया, म्युनिसिपल बाण्ड पटना नगर निगम के लिए नया विषय है। नगर आयुक्त महोदय से अनुरोध है कि म्युनिसिपल बाण्ड के बारे में सदन को बतायें।

नगर आयुक्त :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि म्युनिसिपल बाण्ड का प्रस्ताव एक ऐतिहासिक प्रस्ताव होगा। देश के कई निगमों द्वारा म्युनिसिपल बाण्ड जारी किया गया है। भारत सरकार ने निगमों को 200 करोड़ रू0 के म्युनिसिपल बाण्ड जारी करने पर 13 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा। जिससे निगम अपने क्षेत्र में योजनाओं का कार्य करा सकेंगे। भारत सरकार चाहता है कि निगम को राजस्व में वृद्धि हो। अभी ट्रेड लाईसेंस, विज्ञापन कर नहीं ले रहें है। यह निगम के आय का बड़ा सेक्टर है। भ्रमण के क्रम में यह बात आई कि शहर में वेंडिंग जोन बनाया जाय। वेंडिंग जोन के माध्यम से निगम को राजस्व की प्राप्ति होगी। न्यू मार्केट स्थित जो निगम का भूखंड है। उसपर वेंडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव है। वहाँ जो लोकल दुकानदार है उन लोगों को और बाहरी लोगों

महापौर
पटना नगर निगम

के लिए भी दुकान बनेगा। उससे निगम को अधिक आय होगा। पटना नगर निगम में म्युनिसिपल बाण्ड जारी करने का पहला कदम है।

श्री कैलाश प्र0 यादव :- माननीया अध्यक्ष महोदया, म्युनिसिपल बाण्ड का प्रस्ताव निगम पर्षद में लाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब लगता है आर्य कुमार रोड स्थित मछुआ टोली में निगम का भूखंड है। उसपर मॉल का निर्माण हो जायेगा। मॉल बनाने के लिए पहले भी टेंडर हो चुका है। उस मॉल में दुकान के साथ-साथ सिनेमा हॉल, सभा कक्ष का उपबंध भी किया गया है। जिससे निगम को आय में बढ़ोत्तरी होगी।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, उतर भारत में जो निगमों के द्वारा म्युनिसिपल बाण्ड जारी किया गया है। वहाँ किस प्रकार से लागू किया जाएगा। बिहार में पटना नगर निगम म्युनिसिपल बाण्ड, जारी करने पहला निगम है। म्युनिसिपल बाण्ड से प्राप्त होने वाली राशि से किस-किस योजना पर खर्च होगा, मेरा सुझाव है, राशि वहीं खर्च करें जहाँ से निगम को आय प्राप्त हो।

प्रस्ताव संख्या-142:- **<u>सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार एवं सार्वजननिक सेवाओं को विश्व स्तरीय बनाने हेतु म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।</u>**

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

मद संख्या-09:- **पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत हाई यील्ड बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, जो निम्नवत् है:-**

S.N	Ward	Yojna Name	Estimate Amount
1	5	Constuction of High Yield Tube Well at A.G.Colony Sheikhpura in WardNo. 05	1,36,81,000.00 (एक करोड़ छत्तीस लाख इक्यासी हजार) रू0
2	50	Construction of High Yield Tube Well at Campus of Dargah ShahKarbala in Ward No.50	1,36,81,000.00 (एक करोड़ छत्तीस लाख इक्यासी हजार) रू0
2	42	Construction of High Yield Tube Well at Arya Kumar road Machua toli in Ward No 42	1,36,81,000.00 (एक करोड़ छत्तीस लाख

महापौर
पटना नगर निगम

			इक्यासी हजार) रू0
3	63	Construction of High Yield tube Well at Harnaha Tola in Ward No. 63	1,36,81,000.00 (एक करोड़ छत्तीस लाख इक्यासी हजार) रू0
4	11	Constuction of High Yield Tube Well at Mahavir Temple Mahavir Colony in WardNo- 11	1,36,81,000.00 (एक करोड़ छत्तीस लाख इक्यासी हजार) रू0
5	4	Constuction of High Yield Tube Well at Near Samudayik Bhawan Khazpura Gaon in Ward No. 04	1,36,81,000.00 (एक करोड़ छत्तीस लाख इक्यासी हजार) रू0
6	7	Constuction of High Yield Tube Well at Patel Nagar In Urja Park inWardNo-07	1,33,99,900.00 (एक करोड़ तेत्तीस लाख निन्यानवे हजार नौ सौ) रू0
7	25	Constuction of High Yield Tube Well at Shree Krishna Nagar Behind of State Bank in Ward No- 25	1,33,99,900.00 (एक करोड़ तेत्तीस लाख निन्यानवे हजार नौ सौ) रू0
8	26	Constuction of High Yield Tube Well at Telegraph Colony Near Flipkart Office inWard No 26	1,33,99,900.00 (एक करोड़ तेत्तीस लाख निन्यानवे हजार नौ सौ) रू0
9	27	Constuction of High Yield Tube Well at Vidyapati Marg, Kath Pul Mandiri Road, Beside of Wall of Art College in WardNo 27	1,33,99,900.00 (एक करोड़ तेत्तीस लाख निन्यानवे हजार नौ सौ) रू0
10	57	Constuction of High Yield Tube Well at Near East Gate of Azimbad Office in Ward No 57	1,33,99,900.00 (एक करोड़ तेत्तीस लाख निन्यानवे हजार नौ सौ) रू0
11	67	Constuction of High Yield Tube Well at Kila Road,Revenue Clerk Office Campus in Ward No- 67	1,36,46,800.00 (एक करोड़ छत्तीस लाख छियालिस हजार आठ सौ) रू0
12	69	Constuction of High Yield Tube Well at West of Badi Bagicha Railway Line, Bhaisani Tola in Ward No 69	1,35,80,200.00 (एक करोड़ पैंतीस लाख अस्सी हजार दो सौ) रू0

महापौर
पटना नगर निगम

13	44	Construction Of High Yield Tube Well at Munna Chowk, Kankarbag at Ward No.44	1,36,46,800.00 (एक करोड़ छत्तीस लाख छियालिस हजार आठ सौ) रू0
14	03	वार्ड संख्या-03 में हर घर नल जल योजना के तहत निम्नांकित स्थलों पर उच्च प्रवाह बोरिंग अधिष्ठापन :- (क) छोटी रूकनपुरा मोड़, नारियल बोर्ड के चारदविारी के पास। (ख) शबरी नगर में नहर पर के पास (ग) प्राथमिक विद्यालय, जलालपुर मुशहरी के पास नहर पर (घ) धनौत महुआबाग में देवी मन्दिर के पास।	
15	29	वार्ड संख्या 29 अन्तर्गत करबिगहिया में स्थित जर्जर धोबी घाट का जीर्णोद्धार एवं एक बोरिंग की व्यवस्था के संबंध में।	
16	59	**Construction of High Yield Tubewell in diwan mohalla and extension of 600m Pipeline from sidhi Ghat khatal to ram mandir in ward no-59**	
17	43	**Construction of High Yield Tubewell in navratna colony near premchandra golambar in ward no. 43**	
18	43	**Construction of High Yield Tubewell North side of Congress Maidan in ward no- 43**	

अध्यक्ष :- माननीया सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि विभिन्न वार्डों में पेय जल की समस्या को देखते हुए हाई यील्ड बोरिंग का प्रस्ताव है, आप सभी सदस्यों से अनुरोध है कि अपना-अपना सुझाव दें।

श्री अमर कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री कैलाश प्र0 यादव :- माननीया अध्यक्ष महोदया, सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद निविदा की कार्रवाई की जायेगी। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-143:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न वार्डों में हाई यील्ड बोरिंग अधिष्ठापन के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है:-**

1	5	Constuction of High Yield Tube Well at A.G.Colony Sheikhpura in WardNo. 05	1,36,81,000.00 (एक करोड़ छत्तीस लाख इक्यासी हजार) रू0

पटना नगर निगम

2	50	Construction of High Yield Tube Well at Campus of Dargah ShahKarbala in Ward No.50	1,36,81,000.00 (एक करोड़ छत्तीस लाख इक्यासी हजार) रू0
2	42	Construction of High Yield Tube Well at Arya Kumar road Machua toli in Ward No 42	1,36,81,000.00 (एक करोड़ छत्तीस लाख इक्यासी हजार) रू0
3	63	Construction of High Yield tube Well at Harnaha Tola in Ward No. 63	1,36,81,000.00 (एक करोड़ छत्तीस लाख इक्यासी हजार) रू0
4	11	Constuction of High Yield Tube Well at Mahavir Temple Mahavir Colony in WardNo- 11	1,36,81,000.00 (एक करोड़ छत्तीस लाख इक्यासी हजार) रू0
5	4	Constuction of High Yield Tube Well at Near Samudayik Bhawan Khazpura Gaon in Ward No. 04	1,36,81,000.00 (एक करोड़ छत्तीस लाख इक्यासी हजार) रू0
6	7	Constuction of High Yield Tube Well at Patel Nagar In Urja Park inWardNo-07	1,33,99,900.00 (एक करोड़ तेत्तीस लाख निन्यानवे हजार नौ सौ) रू0
7	25	Constuction of High Yield Tube Well at Shree Krishna Nagar Behind of State Bank in Ward No- 25	1,33,99,900.00 (एक करोड़ तेत्तीस लाख निन्यानवे हजार नौ सौ) रू0
8	26	Constuction of High Yield Tube Well at Telegraph Colony Near Flipkart Office inWard No 26	1,33,99,900.00 (एक करोड़ तेत्तीस लाख निन्यानवे हजार नौ सौ) रू0
9	27	Constuction of High Yield Tube Well at Vidyapati Marg, Kath Pul Mandiri Road, Beside of Wall of Art College in WardNo 27	1,33,99,900.00 (एक करोड़ तेत्तीस लाख निन्यानवे हजार नौ सौ) रू0
10	57	Constuction of High Yield Tube Well at Near East Gate of Azimbad Office in Ward No 57	1,33,99,900.00 (एक करोड़ तेत्तीस लाख निन्यानवे हजार नौ सौ) रू0
11	67	Constuction of High Yield Tube Well at Kila Road,Revenue Clerk Office Campus in Ward No- 67	1,36,46,800.00 (एक करोड़ छत्तीस लाख

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

			छियालिस हजार आठ सौ) रू0
12	69	Constuction of High Yield Tube Well at West of Badi Bagicha Railway Line, Bhaisani Tola in Ward No 69	1,35,80,200.00 (एक करोड़ पैंतीस लाख अस्सी हजार दो सौ) रू0
13	44	Construction Of High Yield Tube Well at Munna Chowk, Kankarbag at Ward No.44	1,36,46,800.00 (एक करोड़ छत्तीस लाख छियालिस हजार आठ सौ) रू0
14	03	वार्ड संख्या-03 में हर घर नल जल योजना के तहत निम्नांकित स्थलों पर उच्च प्रवाह बोरिंग अधिष्ठापन :- (क) छोटी रूकनपुरा मोड़, नारियल बोर्ड के चारदविारी के पास। (ख) शबरी नगर में नहर पर के पास (ग) प्राथमिक विद्यालय, जलालपुर मुशहरी के पास नहर पर (घ) धनौत महुआबाग में देवी मन्दिर के पास।	
15	29	वार्ड संख्या 29 अन्तर्गत करबिगहिया में स्थित जर्जर धोबी घाट का जीर्णोद्धार एवं एक बोरिंग की व्यवस्था के संबंध में।	
16	59	**Construction of High Yield Tubewell in diwan mohalla and extension of 600m Pipeline from sidhi Ghat khatal to ram mandir in ward no-59**	
17	43	**Construction of High Yield Tubewell in navratna colony near premchandra golambar in ward no. 43**	
18	43	**Construction of High Yield Tubewell North side of Congress Maidan in ward no- 43**	

श्रीमती पिंकी यादव :- माननीया अध्यक्ष महोदया, भारत के अन्य निगमों द्वारा जो म्युनिसिपल बाण्ड जारी किया गया है। उसी प्रकार पटना नगर निगम भी म्युनिसिपल बाण्ड जारी कर रहा है। यह स्वागतयोग्य प्रस्ताव है। इससे निगम के विकास में मदद मिलेगी।

अध्यक्ष महोदया, मेरे वार्ड में आर0एम0एस0 कॉलनी, जगनपुरा घनी आबादी वाला क्षेत्र है। मैं माननीय सदस्या, सशक्त स्थायी समिति श्रीमती श्वेता राय का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे वार्ड के समस्या को उठाया है।

पिछले 08 वर्ष से मैं अपने वार्ड की समस्या उठा रही हूँ। जगनपुरा में वेंडिंग जोन बने उसके लिए बिहार सरकार की जमीन परती है और सरकार ने भी उस पर सहमति दिया है।

महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष महोदया, मेरे वार्ड में धोबी घाट के निर्माण के लिए प्राक्कलन बन कर आया है। रजक समाज ने भी महापौर एवं नगर आयुक्त को धोबी घाट निर्माण हेतु पत्र दिया है। धोबी घाट निर्माण होने से लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

अध्यक्ष महोदया, जगनपुरा में भी एक वेंडिंग जोन बनवाया जाय, ताकि वहाँ के लोगों को रोगजार मिले और जाम से मुक्ति मिल सके।

श्रीमती संध्या यादव :- माननीया अध्यक्ष महोदया, हमारे वार्ड में दीदारगंज हाल्ट के पास फुट ओभर ब्रीज के निकट बिहार सरकार की जमीन है, जिसपर हाई यील्ड बोरिंग का प्रस्ताव दिया था। बोरिंग के लिए एन0ओ0सी0 की मांग किया गया है। जो अप्राप्त है, उस क्षेत्र में घनी आबादी है और पेय जल की काफी समस्या है।

श्रीमती शोभा देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मकान पर नामांतरण के लिए पारिवारिक सूची की मांग की जाती है। जबकि बटवारा का कागज दिया गया है। बटवारे के कागज में सभी लोगों का नाम दर्ज है।

माननीया अध्यक्ष महोदया, मेरे वार्ड में धोबी घाट पहले से है। जो जीर्णशीर्ण अवस्था में है। उसकी मरम्मति करायी जाय।

नगर आयुक्त :- नामांतरण के लिए फैमिली पार्टीशन एवं फैमिली की सूची देना होगा। तभी म्युटेशन की प्रक्रिया 35 दिनों में पुरी होगी।

कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता संबंधित वार्ड में धोबी घाट के जीर्णोद्धार हेतु स्थल जाँच कर प्रतिवेदन दें।

श्री ज्योति रंजन दास :- माननीया अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से नगर आयुक्त साहब को बताना चाहता हूँ कि एक पक्षीय निबंधन के संबंध में बोरिंग रोड में अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या-123 एवं 124 है, जिसका क्रय बिल्डर से किया और शांतिपूर्ण रह रहें है। 2025 तक बिजली कर बील भी भुगतान कर रहे है। बिल्डर लापाता हो गया है। जिसके कारण निबंधन नहीं हो रहा है। 2022 से प्रयासरत्त है। कृपया इस पर ध्यान दिया जाय।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

श्रीमती प्रभा देवी(वार्ड-03) :- माननीया अध्यक्ष महोदया, वार्ड संख्या-03 में तालाब का निर्माण करना था। जगह भी उपलब्ध है। लेकिन अभी तक नहीं हो सका। जल जीवन हरियाली के तहत यह कार्य होना था।

श्रीमती श्वेता रंजन :- माननीया अध्यक्ष महोदया, हमारे वार्ड में नल-जल योजना का कार्य हुआ। लेकिन जलापूर्ति पाईप में खराबी है। जिसके कारण पानी की सप्लाई ठीक से नहीं हो पाता है।

अध्यक्ष :- बैठक में भाग लेने के लिए सभी माननीया/माननीय सदस्यों, को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की जाती है।

सीता साहू
2/2/26
महापौर
पटना नगर निगम

(सीता साहू)
अध्यक्ष
पटना नगर निगम, पटना।

प्रतिलिपि :- माननीया महापौर/ माननीय उप-महापौर/ सभी माननीया/ माननीय पार्षद / नगर आयुक्त/ सभी संबंधित पदाधिकारी,मुख्यालय, सभी कार्यपालक पदाधिकारी/अभियंता, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नगर सचिव 2026
पटना नगर निगम,पटना।
नगर सचिव
पटना नगर निगम

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION